



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 01.05.2024

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 125 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 30.04.2024 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार 01 अभियुक्त अरविन्द पुत्र दिनेश कोल निवासी डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड इन्दिरा गांधी कला केन्द्र 288/287 थाना पार्लियामेन्ट साउथ दिल्ली उम्र 24 वर्ष को सब्जी मण्डी गेट नं0 2 के सामने मैट्रो के पास बस स्टैण्ड से 01 किलो 125 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ । अपने खर्च व नशे की पूर्ति करने के लिए दिल्ली से गांजा लाता हूँ । जिसे घूम-घूम कर सब्जी मण्डी व आस पास के क्षेत्र में बेचता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अरविन्द पुत्र दिनेश कोल निवासी डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड इन्दिरा गांधी कला केन्द्र 288/287 थाना पार्लियामेन्ट साउथ दिल्ली उम्र 24 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अरविन्द उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर एनडीपीएस का एक अभियोग पंजीकृत है ।

बरामदगी का विवरण

- 1 किलो 125 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल लूट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व लूट के 05 मोबाइल फोन बरामद ।

आज दिनांक 01.05.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोबाइल लुटेरे 02 अभियुक्त
1. रोहित गिरी उर्फ बाउन्सर पुत्र मुकुलजीत गोस्वामी निवासी लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास नन्द नगरी थाना
मोदीनगर गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना कविनगर गाजियाबाद 2. इमरान उर्फ छोटू पुत्र
गफफार उर्फ सोनू निवासी भगवत गुर्जर का मकान निकट रामलाल का ठेका भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर
गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम धौलडी थाना जानी जिला मेरठ को लूट करने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पैलेन्डर
प्लस बिना नम्बर प्लेट तथा लूट के 05 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है, अग्रिम वैधानिक
कार्यवाही की जा रही है।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

1-रोहित गिरी उर्फ बाउन्सर पुत्र मुकुलजीत गोस्वामी निवासी लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास नन्द नगरी थाना
मोदीनगर गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना कविनगर गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष।

2-इमरान उर्फ छोटू पुत्र गफफार उर्फ सोनू निवासी भगवत गुर्जर का मकान निकट रामलाल का ठेका भूपेन्द्रपुरी
थाना मोदीनगर गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम धौलडी थाना जानी जिला मेरठ, उम्र 19 वर्ष।

वांछित अभियुक्त

शराफत पुत्र नामालूम निवासी ग्राम पंचपैसा थाना भावनपुर जिला मेरठ

बरामदगी का विवरण-

1. लूट करने में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल स्पैलेन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट
2. 05 मोबाइल फोन (एनसीआर क्षेत्र से पूर्व में छीने गये)

अपराधिक इतिहास

- 1.थाना मोदीनगर पर मोबाइल लूट के सम्बन्ध में एक मुकदमा पंजीकृत था।
- 2.थाना मोदीनगर पर लूट के मोबाइल बरामदगी के सम्बन्ध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया।

अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा लुटेरा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 12,550/- रूपये, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद ।

आज दिनांक 01.05.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से लूट के अभियोग का वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र विजयपाल उर्फ झब्बू निवासी गांव दूधली थाना झिंझाना जिला शामली हाल पता म0नं0 ए59 अम्बेडकर मूर्ति के पास बेगमपुर मंगोलपुरी दिल्ली उम्र 28 वर्ष को लूट के 12550/- रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल डिस्कवर व एक नाजायज तमंचा , एक जिंदा कारतूस .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.मोनू पुत्र विजयपाल उर्फ झब्बू निवासी गांव दूधली थाना झिंझाना जिला शामली, हाल पता म0नं0 ए59 अम्बेडकर मूर्ति के पास बेगमपुर मंगोलपुरी दिल्ली उम्र 28 वर्ष

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त एक शातिर किस्म का लुटेरा अपराधी है जो थाना लोनी क्षेत्र से दिनांक 13.03.2024 को शादी में सम्मिलित होने आए एक व्यक्ति से नकदी व जेवरात का बैग लूटने की घटना में वांछित चल रहा था।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग की संख्या -01

बरामदगी का विवरण

लूट के कुल 12,550 रूपये व एक तमंचा .315 बोर , एक जिंदा कारतूस .315 बोर व मोटर साइकिल डिस्कवर बरामद

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 08 मोबाइल फोन बरामद ।

थाना वेव सिटी पर दिनांक 30.04.2024 को वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिसमें अज्ञात चोर द्वारा रायल कॉलेज में पेपर देने आये बच्चों की बाहर खड़ी स्कूटी की डिग्गी से मोबाइल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ । जिसमें थाना वेव सिटी पर प्रार्थना पत्र के आधार पर संसुगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया तथा घटना के अनावरण हेतु 02 टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 01.05.2024 को मैनुअल ईनपुट व चेकिंग के दौरान अभियुक्त राकेश पुत्र रामआसरे नि0 म0नं0 98, गली नं0 04, फफराना बस्ती थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को चोरी के 08 मोबाइल फोन के साथ मकदूमशाह पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं 10 वीं पास हूँ। मैंने ये 08 मोबाइल फोन दिनांक 29.04.2024 को रायल कॉलेज में पेपर देने आये बच्चों की खड़ी स्कूटी की डिग्गी से चोरी किए हैं तथा मैं कॉलेज के बाहर खड़े वाहनों से चाबी लगाकर उनकी डिग्गी खोलकर मोबाइल फोन चोरी कर लेता हूँ तथा इन मोबाइल फोनों को राह चलते व्यक्तियों को कम दामों में बेच देता हूँ जिससे मैं अपने शौक पूरे करता हूँ। आज पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

राकेश पुत्र रामआसरे नि0 म0नं0 98, गली नं0 04, फफराना बस्ती थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में भिन्न-भिन्न अपराधों के 06 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

08 चोरी के मोबाइल फोन

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा बन्द घरों का ताला तोड़कर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 सोने की अंगूठी मय ब्लेक स्टोन, 03 चांदी के सिक्के, 02 सोने की चैन मय पैडेंट, 04 जोड़ी सोने की ईयर रिंग, 02 सोने की अंगूठी, 02 सोने के कानों के टोप्स मय रेड स्टोन सहित, सोने का 01 सिंगल कान का टोप्स, 01 गोल्डन बिडस हार, 11 हाथ की घड़ी, 04 चांदी के गिलास, 02 टाईटन घड़ी, 04 चांदी के बर्तन, 01 चांदी का डोलची हेडल सहित, 01 ब्रॉंज, 01 पर्ल बिडस नेक्लेस सैट मय ईयर रिंग, 100 दिरम विदेशी मुद्रा व 13,520/- रु0 तथा घटना में प्रयुक्त पेचकस व सलाई रिच बरामद।

दिनांक 30.04.2024 को थाना लिंकरोड पर वादी अजय चन्द्र राम दास पुत्र स्व0 श्री राज किशोर राम दास निवासी ए-38 रामप्रस्था गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा रात में वादी के घर का ताला तोड़कर घर से नगद 14,000/-रु0 तथा सोने व चाँदी के आभूषण व अन्य सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया गया। चौकी सूर्यनगर पर नियुक्त चीता कर्मचारीगण द्वारा चेकिंग/रात्रि गस्त के दौरान अभियुक्त अली अहमद उर्फ अली मौहम्मद पुत्र स्व0 करीमुद्दीन निवासी सीमापुरी डिपो के पास बंगाली ईदगाह के बराबर झुग्गी झोपड़ी थाना सीमापुरी जिला शाहदरा दिल्ली उम्र 36 वर्ष को कैनरा बैंक के बराबर गांधी आश्रम की दुकान के सामने से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 सोने की अंगूठी मय ब्लेक स्टोन, 03 चांदी के सिक्के, 02 सोने की चैन मय पैडेंट, 04 जोड़ी सोने की ईयर रिंग, 02 सोने की अंगूठी, 02 सोने के कानों के टोप्स मय रेड स्टोन सहित, सोने का 01 सिंगल कान का टोप्स, 01 गोल्डन बिडस हार, 11 हाथ की

घड़ी, 04 चांदी के गिलास, 02 टाईटन घड़ी, 04 चांदी के बर्तन, 01 चांदी का डोलची हेडल सहित, 01 ब्रॉज, 01 पर्ल बिडस नेक्लेस सैट मय ईयर रिंग, 100 दिरम विदेशी मुद्रा व 13,520/- ₹0 तथा घटना में प्रयुक्त पेचकस व सलाई रिंच बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ। नशे के लिये ही मैं बन्द पड़े घरों की रैकी करके मौका पाकर पेचकस और सलाई रिंच का प्रयोग कर खिड़की की ग्रिल व ताला तोड़कर चोरी करता हूँ। दिनांक 29 व 30.04.2024 की रात्रि में मेरे द्वारा रामप्रस्थ कालोनी में एक बन्द मकान से रूपये व सोने-चाँदी की ज्वैलरी, बर्तन, मूर्ती व अन्य सामान चोरी किया था। चोरी के सभी सामान को मैंने रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में छिपा दिया था। और कुछ सामान को लेकर मैं बेचने के लिये जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया तथा जो सामान मुझ से बरामद हुआ है वह सारा सामान मैंने चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अली अहमद उर्फ अली मौहम्मद पुत्र स्व0 करीमुद्दीन निवासी सीमापुरी डिपो के पास बंगाली ईदगाह के बराबर झुग्गी झोपड़ी थाना सीमापुरी जिला शाहदरा दिल्ली उम्र 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 01 सोने की अंगूठी मय ब्लेक स्टोन, 03 चांदी के सिक्के, 02 सोने की चैन मय पैडेंट, 04 जोड़ी सोने की ईयर रिंग, 02 सोने की अंगूठी, 02 सोने के कानों के टोप्स मय रेड स्टोन सहित, सोने का 01 सिंगल कान का टोप्स, 01 गोल्डन बिडस हार, 11 हाथ की घड़ी, 04 चांदी के गिलास, 02 टाईटन घड़ी, 04 चांदी के बर्तन, 01 चांदी का डोलची हेडल सहित, 01 ब्रॉज, 01 पर्ल बिडस नेक्लेस सैट मय ईयर रिंग।
- 100 दिरम विदेशी मुद्रा।
- 13,520/- ₹0।
- घटना में प्रयुक्त पेचकस व सलाई रिंच बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी के 04 अभियोग, एनडीपीएस का 01 अभियोग, हत्या के प्रयास का 01 अभियोग व अवैध शस्त्र का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल थाना लिंकरोड पर 07 अभियोग पंजीकृत है।
 - गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन जोन द्वारा घटना का सफल एवं त्वरित अनावरण करने वाले चौकी सूर्यनगर पर नियुक्त चीता कर्मचारीगण को 10,000/- ₹0 की धनराशि से पुरूस्कृत किया गया।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल व फर्जी नंबर प्लेट बरामद ।

दिनांक 01.05.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त सूरज कुमार झाँ पुत्र बच्चन झाँ निवासी रईका थाना मधुबनी जिला दरभंगा बिहार को पनीर वाली गली गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज कुमार झाँ उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह मोटर साइकिल मेरे द्वारा सीमापुरी दिल्ली से चोरी की गई थी । जिसका थाना सीमापुरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सूरज कुमार झाँ पुत्र बच्चन झाँ निवासी रईका थाना मधुबनी जिला दरभंगा बिहार उम्र 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 01 मोटर साइकिल अपाचे बरामद, फर्जी नंबर प्लेट ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सीमापुरी दिल्ली पर चोरी के सम्बन्ध 01 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 01.05.2024 को थाना लिंकरोड पर वादी की 16 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर 02 अभियुक्त 1. राज उर्फ यशवंत पुत्र साम सुन्दर मूल निवासी सिमरी बाजार सुल्तानपुर हाल निवासी गली न0-12 किराये का मकान धर्म सिंह ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष । 2. अंकित पुत्र बबलू निवासी चोगमा हरदोई हाल निवासी गली न0-12 किराये का मकान धर्म सिंह ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष के विरुद्ध अभियुक्त अंकित उपरोक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ बलात्कार करने तथा अभियुक्त राज उर्फ यशवंत उपरोक्त द्वारा बलात्कार करने का प्रयास करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया । जिसमें वादी पीडिता एवं पूर्व से हिरासत में लिये गये दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बलात्कार की घटना कारित करने की पुष्टि हुई है । तथा विवेचना के दौरान वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये पीडिता के स्कूल प्रमाण पत्र के

आधार पर पीडिता की उम्र 18 वर्ष 3 माह पायी गयी जिसके आधार पर पीडिता बालिग है। अतः पंजीकृत अभियोग से धारा 3/4 पोक्सो एक्ट का लोप किया गया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. राज उर्फ यशवंत पुत्र श्याम सुन्दर **मूल निवासी** सिमरी बाजार सुल्तानपुर **हाल निवासी** गली न0-12 किराये का मकान धर्म सिंह ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।
2. अंकित पुत्र बबलू **निवासी** चोगमा हरदोई **हाल निवासी** गली न0-12 किराये का मकान धर्म सिंह ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम